रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1024] नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2011/ज्येष्ठ 9, 1933
No. 1024] NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2011/JYAISTHA 9, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2011

का.आ. 1226(अ).—भारत के राष्ट्रपति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में तत्काल प्रभाव से आयकर निदेशालय (आपराधिक जांच), जिसे संक्षेप में डीसीआई के नाम से जाना जाएगा, के गठन का अनुमोदन करते हैं ।

2. डीसीआई किसी प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत अपराध के रूप में दंडनीय किसी वित्तीय निहितार्थ वाले आपराधिक मामलों के संबंध में कार्य सम्पन्न करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल है:

(i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 43) का अध्याय-XXII; और

(ii) धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 27) का अध्याय-VIII

3. प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय डीसीआई से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने की अपेक्षा होगी:

(क) सीमापारीय, अन्तर्राज्यीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव वाली आपराधिक गतिविधियों में संदिग्ध रूप से शामिल व्यक्तियों एवं लेन-देनों के बारे में सूचनाएं तलाश करना एवं एकत्र करना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, तथा प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत दंडनीय हैं;

(ख) ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल निधियों के स्रोत एवं प्रयोग की जांच करना;

(ग) किसी प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत घटित अपराध के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कराना;

(घ) किसी आपराधिक गतिविधि के संबंध में किसी प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन की शिकायत दाखिल करना;

(ङ) सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय में दाखिल अभियोजन की शिकायत की देख-रेख के लिए विशेष अभियोजकों एवं अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं किराए पर लेना;

(च) प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत आपराधिक अपराधों के प्रभावी अभियोजन के लिए उपयुक्त साक्ष्य संरक्षण कार्यक्रम निष्पादित करना अर्थात ऐसे गवाहों की रक्षा करना एवं पुनर्वास करना जो ऐसे अपराधों के अभियोजन में राज्य की सहायता करते हैं ताकि उनको किसी नुकसान से दूर रखा जा सके;

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करने वाले सीमापारीय, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के अपराधों की जांच करने वाली भारत में किसी अन्य आसूचना या कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा आवश्यक विशेषज्ञ, तकनीकी एवं संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करना;

(ज) भारत में किसी केन्द्रीय या राज्य एजेंसी के साथ सूचना के आदान-प्रदान तथा सहयोग के लिए करार करना;

(झ) विदेशी राज्यों की ऐसी एजेंसियों के साथ सूचना के आदान-प्रदान एवं अन्य सहयोग के लिए करार करना जो किसी अंतर्राष्ट्रीय करार या संधि के अन्तर्गत अनुमत हो सकता है; और

(ञ) उपर्युक्त से संबंधित कोई अन्य मामला।

4. आयकर महानिदेशक (आपराधिक जांच) डीसीआई के अध्यक्ष होंगे जो मुख्य आयकर आयुक्त के रैंक के अधिकारी होंगे तथा नई दिल्ली में पदस्थ होंगे। डीसीआई केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में सदस्य (जांच) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक अधीनस्थ कार्यालय होगा।

5. डीसीआई के पास आठ आयकर निदेशक (आपराधिक जांच) होंगे जो दिल्ली, चण्डीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ में स्थित होंगे। आयकर आयुक्त के रैंक के अधिकारी इन निदेशालयों के अध्यक्ष होंगे जो ऐसे कार्यों का निष्पादन करेंगे जिन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाएगा तथा उनको सौंपा जाएगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास डीसीआई को सौंपे गए कार्यों में संशोधन करने की सम्पूर्ण शक्तियां होंगी।

6. डीसीआई के मुख्यालयों में आयकर महानिदेशक (सीआई) होंगे जिन्हें आयकर निदेशक (सीआई), एक अपर आयकर निदेशक (सीआई), एक उप आयकर निदेशक (सीआई), तथा आयकर अधिकारी के रैंक के विशेष एजेंट के रूप में ज्ञात अधिकारी एवं आयकर निरीक्षक के रैंक के एजेंट सहायता प्रदान करेंगे। डीसीआई के प्रत्येक आंचलिक निदेशालय का मुखिया एक आयकर निदेशक (सीआई) होगा जिसको एक अपर आयकर निदेशक (सीआई), एक उप आयकर निदेशक (सीआई) तथा विशेष एजेंटों तथा एजेंटों के एक समुचित स्टाफ अनुपूरक सहायता प्रदान करेंगे।

7. इस समय डीसीआई की स्टाफ आवश्यकता की पूर्ति आयकर विभाग में आयकर महानिदेशक (आसूचना), आयकर निदेशक (आसूचना), तथा आयकर निदेशक (सीआईबी) के वर्तमान पदों में से की जाएगी। डीसीआई के लिए अंतिम स्टाफ आवश्यकता तथा भर्ती नियमों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 29/2011/फा. सं. 286/179/2009-आयकर (जांच-II)]

रूपक कुमार, अवर सचिव